

कुछ मुद्दों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। वो खास तरह से हम महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तकनीक, फाइनेंस, करियर और कानून की दुनिया से जुड़े ऐसे ही विशेष मुद्दों से जुड़ी जानकारियों के लिए है यह खास पन्ना...

# अपने अधिकारों से दें इस हिंसा का जवाब

समाज कितनी भी प्रगति कर ले, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाएं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस हिंसा का सामना करने के लिए आपके क्या-क्या हैं अधिकार, बता रही हैं डॉ. मालिनी सबा

**अ**पने आसपास नजरें घुमाकर देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आपको दिख ही जाएंगी। वे भले ही खुद से इसके बारे में कुछ न कहें, पर इस हिंसा की निशानियां उन परेशानियों को बयां कर देती हैं, जिनसे वे बंद दरवाजों के पीछे लगातार जूझ रही होती हैं। चिंताजनक बात यह है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव में ज्यादातर महिलाएं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं या आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा घरेलू हिंसा पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 29.3 फीसदी भारतीय महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की हिंसा से लगातार त्रस्त रहती



## घरेलू हिंसा का दायरा

घरेलू हिंसा के खिलाफ आपके क्या अधिकार हैं, ये जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार का व्यवहार घरेलू हिंसा के दायरे में आता है:

- **शारीरिक हिंसा:** महिला के साथ मार-पिट्टाई करना, जबरन शराब पिलाना या नशीले पदार्थ लेने के लिए मजबूर करना, उसे भूखा रखना या जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों इलाज उपलब्ध ना करवाना शारीरिक हिंसा का रूप है।
- **यौन हिंसा:** किसी स्त्री के साथ बिना उसकी रजामंदी के जबरदस्ती करना या

हैं। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी, सामाजिक और पारिवारिक दबाव, ससुरालवालों के द्वारा लगातार दहेज की मांग, शिक्षा का अभाव, पितृसत्ता या अपने लिए आवाज उठाने का साहस ना जुटा पाना जैसे कारण घरेलू हिंसा

यौन अंगों पर चोट पहुंचाना यौन हिंसा है।

- **आर्थिक हिंसा:** महिला को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना या रुपए-पैसे संबंधी जरूरतों के लिए अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश आर्थिक हिंसा के दायरे में आता है।
- **भावनात्मक हिंसा:** गाली-गलौज करना, अपशब्द बोल कर अपमानित करना, नीचा दिखाने का प्रयास करना या महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करना भावनात्मक हिंसा मानी जाती है।

को आमतौर पर हमारे समाज में बढ़ावा देते हैं। यदि अपने अधिकारों के प्रति जानकारी हो तो चुपचाप प्रताड़ित होने की बजाय अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। घरेलू हिंसा का सामना करने के लिए क्या हैं आपके अधिकार, आइए जानें:

## कानून का साथ

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पेश किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की व्याख्या इस प्रकार से की गई है:

- जान, सेहत और सुरक्षा के लिए शारीरिक, मानसिक, यौन खतरा, जिसमें मौखिक और आर्थिक शोषण भी शामिल है।
- दहेज के लिए महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना।
- आईपीसी की धारा 498-ए के अनुसार पति या ससुराल पक्ष द्वारा महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी अपराध की श्रेणी में आता है, जो गैर-जमानती होता है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का उद्देश्य दहेज जैसी कुप्रथा पर लगाम लगाना है।

दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने के लिए लड़की के घरवालों से मांग करना या उनपर दबाव बनाना अपराध माना जाता है।

## यहां से लें मदद

- **पुलिस की मदद:** घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला पुलिस से किसी भी समय मदद ले सकती है। पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन जाकर या महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
- **न्यायालय से सहायता:** घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, महिलाएं प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि महिला चाहे तो न्यायालय में भी अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर सकती है। ऐसा करने पर उसे न्यायालय द्वारा अपने पति/साथी से दूर रहने का अधिकार मिल जाता है।
- **पुनर्वास का अधिकार:** पीड़िता सरकार से पुनर्वास की मांग भी कर सकती है। सरकार और अनेकों गैर-सरकारी संगठन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थल और पुनर्वास केंद्र चलाते हैं। यहां पीड़िता के रहने के अलावा उसे काउंसलिंग और कानूनी सलाह की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- **आर्थिक मदद:** घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए अपने पति/साथी से भरण-पोषण भत्ते और मुआवजे की मांग कर सकती हैं।

(लेखिका मानवाधिकार कार्यकर्ता और अनानके काउंडेशन की संस्थापक हैं।)  
प्रस्तुति: स्वाति गौड़